

कार्यवृत्त

[संक्षिप्त कार्य-विवरण]

बुधवार, 09 श्रावण, शक संवत् 1946
(31 जुलाई, 2024 ई०)

खण्ड-526
अंक-03

विधान सभा का कार्य सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे
श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

प्रश्न पूछे गये एवं उनके उत्तर दिये गये।

आज की कार्य-सूची के तारांकित प्रश्न संख्या-03 के मध्य पूर्वाह्न
11 बजकर 33 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मनीष असीजा पीठासीन हुये।

तदुपरान्त तारांकित प्रश्न संख्या-07 के अनूपूरक के मध्य अपराह्न
12 बजकर 19 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के निम्नलिखित भूतपूर्व सदस्यों के निधन
पर सदन की ओर से शोक संवेदना व्यक्त की गयी :-

- 1-श्री मो० आसिफ जाफरी,
- 2-श्री राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खां,
- 3-श्री गामाराम शास्त्री,
- 4-श्री मलिक मसूद,
- 5-श्री हरिद्वार पाण्डेय,
- 6-डा० अच्युतानन्द तिवारी,
- 7-श्री शफीकुर्रहमान बर्क,
- 8-श्री राम छबीला मिश्र,
- 9-श्री मुख्तार अंसारी,
- 10-श्री छोटे लाल यादव,
- 11-कुंवर सर्वेश कुमार,
- 12-श्री विनय शाक्य,
- 13-श्री इन्द्र प्रताप सिंह तथा
- 14-श्री बाबूलाल कुशवाहा।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्ट महानुभावों के निधन पर संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन की ओर से शोक संवेदना व्यक्त की गयी :-

1-श्री मनोहर जोशी, पूर्व अध्यक्ष, लोक सभा तथा

2-डा० अजीज कुरैशी, पूर्व राज्यपाल (कार्यवाहक), उ०प्र०

श्री अध्यक्ष ने सदन की भावनाओं से अपने को सम्बद्ध करते हुये कहा कि सदन में व्यक्त की गयी संवेदनाओं को दिवंगत आत्माओं के शोक-संतप्त परिवारों तक पहुंचा दिया जायेगा।

दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुये।

तदुपरान्त श्री कमाल अख्तर ने कहा कि व्यक्तिगत सुरक्षा के मामले में श्रीमती विजया यादव बोलना चाहती हैं, उन्हें सुन लिया जाए। कल कोई जवाब नहीं आया था। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि कोई सवाल ही नहीं आया है, जिसके जवाब की सरकार से अपेक्षा की जाय। इस पर संदीप सिंह ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा था कि उनके पास पहले से सूचना नहीं थी। चूंकि सवाल आ गया है, सब लोग चाहते हैं कि इसका जवाब आ जाय। श्री संग्राम सिंह ने इस पर बल दिया।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कल पूरी बात सुन ली गयी थी। सभी नागरिकों, विधायकों की पूरी तरीके से सुरक्षा हो रही है। आपकी सुरक्षा के लिये पूरी व्यवस्था पहले से ही की गयी है। कोई नया घटनाक्रम नहीं है, जिसके आधार पर यह कहा जाये कि उनकी सुरक्षा को खतरा है।

आज दिनांक 31 जुलाई, 2024 को नियम-301 के अन्तर्गत 104 सूचनाएं प्राप्त हुईं, निम्नलिखित मा० सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं :-

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
1	श्री गणेश चन्द्र	जनपद सन्तकबीर नगर की तहसील घनघटा में कतिपय पुल के निर्माण के सम्बन्ध में।
2	डॉ० मनोज कुमार प्रजापति	जनपद हमीरपुर में मेडिकल कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
3	डॉ० शलभ मणि त्रिपाठी	जनपद देवरिया में जिला स्तर पर जिला अस्पताल बनवाये जाने के सम्बन्ध में।
4	हाजी नासिर कुरैशी	मुरादाबाद ग्रामीण में कतिपय नाले के निर्माण के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
5	श्री रमेश सिंह	जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण के सम्बन्ध में।
6	श्री अजय कुमार	जनपद बागपत के निजी चीनी मिल मलकपुर में गन्ना किसानों का अवशेष भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।
7	डॉ० विमलेश पासवान	जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र बांसगांव में कतिपय सर्विस लेन बनाये जाने के सम्बन्ध में।
8	श्री प्रकाश द्विवेदी	जनपद बांदा में व्याप्त विद्युत संकट से मुक्ति दिलाये जाने के सम्बन्ध में।
9	श्री पूरन प्रकाश	जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बलदेव में कतिपय अवैध निर्माण हटाये जाने के सम्बन्ध में।
10	श्री राजीव तरारा	जनपद अमरोहा के धनौरा में कतिपय मार्ग के चौड़ीकरण के सम्बन्ध में।
11	श्री अमिताभ बाजपेई	पर्यावरण की रक्षा हेतु कानपुर नगर में सरकारी खाली भूमि पर वृक्षारोपण कराये जाने के सम्बन्ध में।
12	श्रीमती सलोना कुशवाहा	जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत तिलहर में राजकीय महिला महाविद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध में।
13	डॉ० सुरभी	जनपद फर्रुखाबाद में जिलाधिकारी द्वारा घोषित भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।
14	श्री प्रभु नारायण सिंह यादव	जनपद चन्दौली के सकलडीहा में धरहरा-अमावल मार्ग से अवशेष सड़क के मिट्टी से लेपन तक कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।
15	श्री आशु मालिक	जनपद सहारनपुर देहात के अन्तर्गत सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

<u>क्र०-सं०</u>	<u>नाम</u>	<u>विषय</u>
16	श्री राजेश्वर सिंह	जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र सरोजनी नगर के गौरी क्षेत्र में सड़क तथा नाली के निर्माण के सम्बन्ध में।
17	श्री फरीद महफूज क़िदवई	जनपद बाराबंकी में बाढ़ कार्य हेतु किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।
18	श्रीमती केतकी सिंह	जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के कतिपय ग्राम में विद्युत व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।
19	श्री शिवपाल सिंह यादव	प्रदेश के किसानों से अत्यधिक खतौनी शुल्क वसूल किए जाने के सम्बन्ध में।
20	श्रीमती पिंकी सिंह	जनपद सम्भल के असमौली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में।
21	श्री मूल चन्द्र सिंह	जनपद जालौन के नगर पालिका परिषद् कोंच में सीवर लाइन सही करवाए जाने के सम्बन्ध में।

इसी मध्य प्रदेश के किसानों से अत्यधिक खतौनी शुल्क वसूल किये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवपाल सिंह यादव द्वारा पीठ की अनुमति से अपनी नियम-301 की सूचना के सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दिया गया।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने नियम-301 की सूचना के अन्तर्गत जो सूचना की मूल प्रति दी थी, वह रिकार्ड पर जायेगी, बाकी कुछ नहीं।

श्री अध्यक्ष द्वारा श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा को आज उनके जन्म दिन के अवसर पर सदन की ओर से बधाई दी गयी।

आज नियम-300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की 04 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जो अग्राह्य हुईं।

श्री ओम प्रकाश ने उत्तर प्रदेश के जिलों में सलाहकार समितियों की बैठक न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाते हुए कहा कि जिले की समितियाँ कहीं न कहीं जन-जीवन से जुड़ी हुई हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता को हमसे बड़ी उम्मीद रहती है। पहले महीने में एक बार सलाहकार समिति की मीटिंग होती थी और कहीं न कहीं इसका अच्छा और सकारात्मक परिणाम निकलता था। कहीं न कहीं अधिकारियों की मनमानी पर अंकुश लगता था। चालू वित्तीय वर्ष में अभी तक समितियों का गठन नहीं किया गया है। उन्होंने समितियों के

गठन के लिए पीठ से निर्देश देने का अनुरोध किया। श्री शिवपाल सिंह व नेता विरोधी दल ने इस पर बल देते हुए कहा कि अधिकारीगण जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाते हैं।

इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि दिशा की बैठक होती है और साथ-साथ लॉ, एण्ड आर्डर के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक भी महीने में एक बार अपने जन-प्रतिनिधियों को बुलाकर सभी लोगों के साथ बैठते हैं। इस सम्बन्ध में पहले से ही स्टैण्डिंग आर्डर्स हैं कि महीने में एक बार जन-प्रतिनिधियों के साथ बैठ-कर बात जरूर करें। रही बात दूसरी समितियों की तो उनका गठन वर्षों से नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में नेता सदन से बात करके पीठ और सदन को अवगत करा दिया जाएगा। आज ही पुनः निर्देश जारी करके समितियों का गठन सुनिश्चित करा लिया जाएगा। अधिकारीगण द्वारा फोन न उठाने के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि पिछली बार मुख्य सचिव की तरफ से शासनादेश जारी करवाया गया था, जो सभी पर समान रूप से लागू है। इसको दिखवा कर सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस समय अधिकारी मीटिंग में व्यस्त हों, तो उसके बाद कॉल बैक जरूर करें।

इस पर नेता विरोधी दल ने कहा कि पहले जिला योजना की बैठकें होती थीं, जिसमें पूरे जिले के बारे में योजनाएं बनती थीं। जिला योजना की मीटिंग व बजट का ब्यौरा आता था, जिसे बजट बनाते समय वित्त मंत्री द्वारा कहीं न कहीं समायोजित करते हुए उतनी धनराशि जिले को अलग से आवंटित कर दी जाती थी, लेकिन अब यह प्रथा बन्द हो गयी है और इस तरह की बैठकें नहीं होती हैं। उन्होंने इसे पुनः चालू किये जाने का अनुरोध किया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि इसे संज्ञान में ले लिया गया है।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि बहुत सारे विषयों पर संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेकर उपयुक्त उत्तर दे दिया है जिससे सभी संतुष्ट हैं। लेकिन मा० सदस्यों के प्रोटोकॉल के सम्बन्ध में विषय बार-बार विधान सभा में आता है। यहां पर मा० मुख्य मंत्री जी स्वयं इस बात की चिंता करते हैं कि सभी जन-प्रतिनिधियों की सुनवाई हो और इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी किये जा चुके हैं। श्री अध्यक्ष ने इस सम्बन्ध में मॉनीटरिंग करने हेतु संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि अगर उसका अनुपालन नहीं होता है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है।

तदुपरान्त सूचना अग्रास्य हुई।

विधान मण्डल दल के सभी मा० सदस्यों का प्रतिवर्ष निःशुल्क 'वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण' सरकारी अस्पतालों में कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' के औचित्य के प्रश्न की सूचना के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में व्यस्तता के कारण आपा-धापी में सदस्यगण कहीं न कहीं अपने स्वास्थ्य को इग्नोर करते हैं। उन्होंने हर सदस्य का अनिवार्य निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए पीठ से अनुरोध किया। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री जी एवं स्वास्थ्य मंत्री जी से इस पर चर्चा करके कोई निर्देश दिये जाएंगे।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा नियम-300 में अपनी बात कहने का प्रयास करने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि इस बारे में अलग से लिख कर दे दीजिए, दिखवा लिया जाएगा। सूचना अग्राह्य हुई।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने गृह (पुलिस) अनुभाग-11 के श्री शशिकांत, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय जाँच आयोग की रिपोर्ट को कृत कार्यवाही के विवरण तथा विलम्ब के कारणों सहित जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3 की उपधारा (4) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-24/ग्यारह-2-24-9(47)-17 टी0सी0-252-उ0प्र0अधि-1-2017-आदेश (313)- 2024, दिनांक 07 फरवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-25/ग्यारह-2-24-9(47)-17 टी0सी0-253-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (314)-2024, दिनांक 27 फरवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-207/ग्यारह-2-24-9 (42)-17 टी0सी0-69-उ0प्र0जी0एस0टी0- नियम-2017-आदेश (315)-2024, दिनांक 27 फरवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन विलम्ब कारणों सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-211/ग्यारह-2-24-9 (47)-17 टी0सी0-254-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (316)-2024, दिनांक 07 मार्च, 2024 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-368/ग्यारह-2-24-9(47) -17 टी0सी0-255-उ0प्र0 अधि0-1-2017-आदेश (317)-2024, दिनांक

06 मई, 2024 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-01/ ग्यारह-2-24-9(42) -17 टी0सी0-68-उ0प्र0जी0एस0टी0-नियम-2017-आदेश (310)-2024, दिनांक 04 जनवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन विलम्ब कारणों सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-13/ ग्यारह-2-24-9 (47)-17 टी0सी0-250-उ0प्र0 अधि-1-2017-आदेश (311)-2024, दिनांक 07 फरवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन विलम्ब कारणों सहित सदन के पटल पर रखा।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने राज्य कर अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-19/ ग्यारह-2-24-9(47)- 17 टी0सी0-251-उ0प्र0 अधि-1-2017-आदेश (312)-2024, दिनांक 07 फरवरी, 2024 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 2017) की धारा-166 के अधीन विलम्ब कारणों सहित सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा (निजी निवेश) प्रकोष्ठ की उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और सेवा की शर्तें) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024 को विद्युत अधिनियम, 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-36 सन् 2003) की धारा-182 के अधीन सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा अनुभाग-1 के उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड का तेइसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 एवं चौबीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) (बी) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा अनुभाग-1 के कानपुर विद्युत आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड, कानपुर का अट्टारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 के वार्षिक लेखा को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) (बी) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा अनुभाग-1 के दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का उन्नीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) (बी) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा अनुभाग-1 के पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की 17वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2019-20 एवं 18वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2020-21 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 (1) (बी) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

ऊर्जा मंत्री ने ऊर्जा अनुभाग-1 के उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की चौबीसवीं वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2022-23 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 की उपधारा (2) के अधीन सदन के पटल पर रखा।

तत्पश्चात् नेता विरोधी दल द्वारा श्रीमती विजमा यादव को सुने जाने का पीठ से अनुरोध करने पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने संज्ञान ले लिया है और नेता सदन ने भी संज्ञान ले लिया है। पूरी सुरक्षा की व्यवस्था होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। कल जब पूरी बात सबके सामने आ गई तो उसको बार-बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। इस पर समाजवादी पार्टी के सदस्य सदन के वेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि कल इस बारे में मा0 सदस्य श्रीमती विजमा यादव जी ने अपनी पूरी बात कही थी और किसी भी सजा की माफी या नामाफी का अधिकार महामहिम राज्यपाल को होता है। हम उनके निर्णय पर यहाँ किसी प्रकार की चर्चा नहीं कर सकते। संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वह सम्बन्धित मा0 सदस्य की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी आवश्यक होगा, वह करेंगे।

सभापति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष 2022-2023 का चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, लघु सिंचाई विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, ऊर्जा विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग के वर्ष 1998 से 2022 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है, जिन्हें समिति द्वारा पूर्ण मान लिया गया है, का 153वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

नेता विरोधी दल द्वारा मा0 सदस्य श्रीमती विजमा यादव की सुरक्षा बढ़ाने की बात कहने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने जब कह दिया कि उनकी सुरक्षा की गारण्टी ले रहे हैं, तो उस गारण्टी के ऊपर कौन सी गारण्टी है।

तदुपरान्त सदन के वेल में आये सदस्य अपने आसन पर वापस चले गये।

सभापति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के वर्ष 2022-2023 का महिला एवं बाल विकास विभाग, नगर विकास विभाग, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, पशुधन विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण एवं सेवा विभाग, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उच्च शिक्षा विभाग तथा समाज कल्याण विभाग के वर्ष 2000 से 2023 तक के उन आश्वासनों से सम्बन्धित है, जिन्हें समिति द्वारा पूर्ण मान लिया गया है, का 154वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का सोलहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2005-2006, 1991-1992 व 1996-1997 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ०प्र० राज्य हथकरघा (हैन्डलूम) निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरो पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का सत्रहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2008-2009 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरो पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का अट्ठारहवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1999-2000 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरो पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का उन्नीसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2010-2011, 2012-2013 व 2014-2015 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ०प्र० कानपुर इलेक्ट्रिक स्प्लाई निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तरो पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का बीसवां प्रतिवेदन, जो भारत

के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2013-2014 व 2015-2016 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तारों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2022-2023) का इक्कीसवां प्रतिवेदन, जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2010-2011 व 2012-2013 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उ0प्र0 मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से सम्बन्धित प्रस्तारों पर आधारित है, प्रस्तुत किया।

सभापति, लोक लेखा समिति ने उत्तर प्रदेश की अट्टारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-2023) का दशम प्रतिवेदन, 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन सं0-02 (जनरल एवं सोशल सेक्टर) उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, को प्रस्तुत किया।

सभापति, लोक लेखा समिति ने उत्तर प्रदेश की अट्टारहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2022-2023) का ग्यारहवां प्रतिवेदन, 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन सं0-03 (जनरल एवं सोशल सेक्टर) लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है, को प्रस्तुत किया।

तदुपरान्त श्री अध्यक्ष ने कहा कि उपस्थिति रजिस्टर पर उपस्थित सदस्यों की याचिका उपस्थित की हुई मानी जाएगी। इस सम्बन्ध में श्री अतुल प्रधान द्वारा याचिकाएँ सुने जाने की बात कहे जाने पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि याचिकाएँ अभी नहीं लेंगे। सबसे आखिरी में सुन लेंगे।

तदुपरान्त श्री मनोज कुमार पारस ने कहा कि उन्होंने कल प्रमुख सचिव महोदय के ऑफिस में याचिका दी थी, वहां उनके दफ्तर से याचिका चढ़ कर गयी, लेकिन आज मेरी याचिका लगी नहीं है। इस पर श्री अध्यक्ष ने कहा कि वह इसको दिखवा देंगे और कल लग जाएगी।

श्री अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 30 जुलाई, 2024 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

दिनांक 31 जुलाई, 2024 को निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं पारण करा लिया जाय :-

1-उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक. 2024

2-बोनस संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024

3-कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024

शेष कार्यक्रम यथावत् रखा जाये।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी, सहमत है।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

आज नियम-56 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जो कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य होने के दृष्टिगत श्री अध्यक्ष ने कहा कि इन पर चर्चा नहीं होगी।

इस पर विपक्ष के कतिपय सदस्यों द्वारा अनुरोध किये जाने व नेता विरोधी दल द्वारा इस पर बल देने पर श्री अध्यक्ष की अनुमति से डा0 आर0 के0 वर्मा ने प्रदेश में बदहाल चिकित्सा व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति विषयक अपनी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर विचार व्यक्त करते हुए कहा कि आज पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएँ ध्वस्त हो चुकी हैं। प्रदेश के अस्पतालों में रोगी भटकता रहता है, उसे जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पा रही हैं। मरीज अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाता, स्ट्रेचर पर ही इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है। उन्होंने प्रदेश में गरीबों को सारी चिकित्सा सुविधाएँ मुहैया कराने व ओ0पी0डी0 का समय सुबह 8 बजे के बजाय 10 बजे करने के साथ ही विषय को अविलम्बनीय एवं लोक महत्व का बताते हुए सदन की शेष कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराने की मांग की। श्री नफीस अहमद, श्री मनोज कुमार पारस व डा0 रागिनी ने इस पर बल दिया।

इसी मध्य अपराह्न 01 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह पीठासीन हुए।

इस पर संसदीय कार्य एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत-जन आरोग्य योजना में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में प्रथम स्थान पर है। इस योजना के अन्तर्गत अब तक हम लोग 5.11 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनवा चुके हैं तथा इसे और आगे बढ़ाने की कोशिश में हम लोग लगे हैं, पूरे प्रदेश में लगभग 21 हजार आयुष्मान आरोग्य मन्दिर स्थापित किये हैं, जिसमें एक दिन में करीब-करीब 70 हजार से अधिक मरीज देखे जा रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 294 तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। हमारे प्रदेश में लगभग 586 सी0एच0सी0 हैं, जिसमें से इन सी0एच0सी0 में हम लोग इस वर्ष 11720 बेडों की नयी कैपेसिटी सृजित करने जा रहे हैं। चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए कई तरह से डाक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया अनवरत् चल रही है। आज सभी 75 जनपदों में डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। डायल 108 की 2200 एम्बुलेन्स, डायल 102 की 2270 तथा 250 ए0एल0एस0 एम्बुलेन्स संचालित हैं। इस समय 45 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं और 14 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

श्री रफीक अन्सारी ने प्रदेश के बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक अपनी कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के अन्दर और देश के अन्दर किसान के बाद सबसे बड़ा उद्योग बुनकर समाज का है और बुनकर समाज की कोई सुनने वाला नहीं है। बुनकरों की बिजली महंगी हो गयी है। वर्ष 2019 में बुनकरों हेतु फ्लैट रेट पर बिजली आपूर्ति समाप्त कर दी गयी, जिससे वे भुखमरी की कगार पर आ गए। इसके अतिरिक्त बुनकरों के उत्पाद पर जी0एस0टी0 भी लगा दी गयी है। जिससे बुनकर समाज की हालत बहुत खराब है। उन्होंने बुनकरों के लिए फ्लैट रेट पर विद्युत आपूर्ति समाप्त न करने तथा जी0एस0टी0 वापस करने की मांग की।

इस पर श्री सुधाकर सिंह ने बल दिया।

इसी मध्य श्री इकबाल महमूद द्वारा भारी बारिश के कारण विधान सभा के अन्दर पानी घुसने व लिफ्ट खराब होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने पर श्री अधिष्ठाता ने कहा कि इस तरह का विषय यहाँ पर रखना उचित नहीं है। आपको असुविधा हुई, इसलिए इसे दिखवा लिया जाएगा।

तदुपरान्त श्री राममूर्ति वर्मा एवं श्री मौहम्मद फहीम इरफान ने भी बुनकरों की समस्या पर बल दिया।

इसी मध्य अपराह्न 02 बजकर 34 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 मंजू शिवाच पीठासीन हुईं।

इस पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ने शासन का पक्ष रखते हुए कहा कि ऊर्जा विभाग द्वारा वर्ष 2006 में पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट पर विद्युत आपूर्ति किये जाने की एक योजना शुरू की गयी थी। बजट की मांग बढ़ने पर उक्त योजना हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग को स्थानान्तरित कर दी गई है, जिसके उपरान्त विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी एवं ऊर्जा विभाग का बकाया बढ़ने से योजना में बदलाव के लिए शासन स्तर पर चर्चा हुई है। मुख्य मंत्री जी से चर्चा के उपरान्त शासनादेश दिनांक 06-04-2023 द्वारा श्री अटल बिहारी बाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना लागू की गयी है। पांच किलोवॉट के कनेक्शन को फ्लैट रेट योजना विद्युत से जोड़ा गया है। इससे अधिक भार वाले पावरलूम बुनकरों को अनुदान दिया जायेगा। बुनकरों में कोई भी आक्रोश नहीं है और ज्यादातर बुनकर उक्त योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी सरकार ने सभी बुनकरों को ध्यान में रखते हुए 400 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी बुनकरों को दे रही है।

तदुपरान्त सूचना अग्राह्य हुई।

संसदीय कार्य मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि-

“उत्तर प्रदेश नज़ूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबन्ध और उपयोग) विधेयक, 2024” पर विचार किया जाय।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा ने निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया :-

“उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबन्ध और उपयोग) विधेयक, 2024” को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

श्री संदीप सिंह, श्री कमाल अख्तर, श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री रघुराज प्रताप सिंह, श्री अनिल त्रिपाठी व श्रीमती आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने भी विचार व्यक्त किये।

तदुपरान्त डॉ0 आर0 के0 वर्मा द्वारा प्रस्तुत संशोधन का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ एवं मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसी मध्य विरोध स्वरूप विपक्ष के सदस्य सदन के वेल में आकर सरकार विरोधी नारे लगाने लगे, जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।

घोर व्यवधान के मध्य विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-7 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबन्ध और उपयोग) विधेयक, 2024 की धारा-3 के खण्ड (3) के पश्चात् “परन्तु, यह कि पट्टा धारक, जिन्होंने फ्री-होल्ड के लिए आवेदन किया है और दिनांक 17-07-2020 से पहले अपेक्षित धनराशि जमा कर दी है, उनके पास निर्धारित दर पर उनकी लीज अवधि की समाप्ति की तारीख से 30 साल की अवधि के लिए अपने पट्टों को नवीनीकृत करने का विकल्प होगा, बशर्ते कि मूल पट्टा विलेख में पट्टे की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया हो” एवं धारा-3 (7) के पश्चात् “परन्तु, यह कि पट्टा धारक अपनी पट्टा अवधि की समाप्ति की तारीख से 30 साल की अवधि के लिए निर्धारित दर पर अपने पट्टों को नवीनीकृत करा सकते हैं, बशर्ते कि मूल पट्टा विलेख में पट्टे की शर्तों का उल्लंघन नहीं किया गया हो” जोड़ दिया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त संसदीय कार्य मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि-

“उत्तर प्रदेश नजूल सम्पत्ति (लोक प्रयोजनार्थ प्रबन्ध और उपयोग) विधेयक, 2024” संशोधन सहित पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि-

“उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024” पर विचार किया जाय।

विपक्ष के वेल में होने के कारण संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

घोर व्यवधान के मध्य मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-44 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि-

“उत्तर प्रदेश राज्य राजधानी क्षेत्र और अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक, 2024” पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य उच्च शिक्षा मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि-

“उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024” पर विचार किया जाय।

विपक्ष के सदन के वेल में होने के कारण संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

घोर व्यवधान के मध्य मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-6 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के मध्य उच्च शिक्षा मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि-

“उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2024” पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य औद्योगिक विकास मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि-

“उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक, 2024” पर विचार किया जाय।

विपक्ष के सदन के वेल में होने के कारण संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

घोर व्यवधान के मध्य मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-50 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के मध्य औद्योगिक विकास मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि-

“उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण (निर्माण) क्षेत्र विधेयक, 2024” पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसी मध्य सायं 04 बजकर 07 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।

घोर व्यवधान के मध्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि-

“बोनस संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024” पर विचार किया जाय।

विपक्ष के सदन के वेल में होने के कारण संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

घोर व्यवधान के मध्य मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के मध्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि-

“बोनस संदाय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024” पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि-

“कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024” पर विचार किया जाय।

विपक्ष के सदन के वेल में होने के कारण संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

घोर व्यवधान के मध्य मा0 मंत्री द्वारा प्रस्तुत विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तदुपरान्त विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड-2 से खण्ड-6 तक तथा खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के मध्य श्रम एवं सेवायोजन मंत्री ने यह प्रस्ताव किया कि-

“कारखाना (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2024” पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

घोर व्यवधान के मध्य आज नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 31 जुलाई, 2024 को कुल 125 सूचनाएं प्राप्त हुईं।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएँ वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

1-श्री विवेक कुमार वर्मा

जनपद पीलीभीत की विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में कोयला डिपो हटाये जाने के सम्बन्ध में।

- 2-श्री लक्ष्मी राज सिंह विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद जनपद बुलन्दशहर के प्राथमिक विद्यालय सुनपेड़ा की बाउण्डरीवाल बनवाये जाने के सम्बन्ध में।
- 3-श्री पंकज कुमार मलिक जनपद लखनऊ के अर्जुनगंज से वी0आई0पी0 रोड से गोमती नगर विस्तार-7 को जोड़ने वाले 60 फीटा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 4-श्री अजय सिंह जनपद बस्ती में आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी के नाम पर हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 5-श्री बाबूलाल विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ब्लॉक अछनेरा के अभेदोपुरा किरावला के निवासी श्री भगवान सिंह उर्फ घन्शू द्वारा फर्जी जन्मतिथि के आधार पर नौकरी पाने के प्रकरण में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए आर्थिक नुकसान की रिकवरी कराये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएँ केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं:-

- 1-श्री गणेश चन्द्र जनपद सन्तकबीर नगर के विधान सभा क्षेत्र घनघटा के विकास खण्ड हैंसर बाजार के अन्तर्गत पतिजीव संठी में 100 बेड का अस्पताल के निर्माण के सम्बन्ध में।
- 2-श्री ब्रजेश यादव जनपद बदायूँ के कस्बा इस्लामनगर में सरकारी अस्पताल चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।
- निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएँ ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुईं:-
- 1-श्री विनोद चतुर्वेदी जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र कालपी में यमुना नदी के पुल पर यात्री बसों का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 2-श्री प्रेमसागर पटेल नगर पालिका परिषद् सिसवां बाजार महाराजगंज में अधिशाषी अधिकारी व अध्यक्ष द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 में अनावश्यक रूप से व्यय की गयी धनराशियों की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 3-श्री राजीव तरारा गजरौला उमंग डेयरी लिमिटेड द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण व खाद्य पदार्थों में की जा रही मिलावट की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 4-श्री रफीक अंसारी नगर निगम मेरठ, वार्ड सं-80, हापुड़ रोड नाला पटरी के निर्माण के सम्बन्ध में।

- 5-श्री सुरेन्द्र चौरसिया विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना अन्तर्गत तरकुलवा विकास खण्ड के अहरौली गांव को बचाने हेतु छोटी गण्डक नदी से बाढ़ के कटाव को रोकने हेतु।
- 6-श्री वीर विक्रम सिंह जनपद शाहजहाँपुर अन्तर्गत जिलाधिकारी एवं समाज कल्याण अधिकारी द्वारा मा0 मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत नव युगल विवाहित जोड़ों को कोई उपहार न देने तथा उनके आवागमन हेतु कठिनाई के सम्बन्ध में।
- 7-श्रीमती सरोज कुरील विकास खण्ड भीतरगांव की ग्राम पंचायत नौरंगा में पी0डब्ल्यू0डी0 के द्वारा बनायी गयी रोड पर हुये कब्जे को हटाने के सम्बन्ध में।
- 8-इंजी0 सरवन कुमार निषाद जनपद गोरखपुर के चौरी चौरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत नई बाजार में आम-जनमानस को जलभराव की समस्या से निजात दिलाने हेतु नाली निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।
- 9-श्री नन्द किशोर एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज योजना के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज की स्थापना के सम्बन्ध में।
- 10-प्रो0 श्याम बिहारी लाल विधान सभा क्षेत्र फरीदपुर की नगर पालिका परिषद् फरीदपुर में दूषित जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 11-श्री भगवान सिंह कुशवाहा विधान सभा क्षेत्र खैरागढ़, जनपद आगरा के ब्लाक जगनेर के गांव नगला नंगू पुलिया से गोस्वामी मठ तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 12-श्री हरिओम राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के मार्ग मोहनपुर से बंजारी तक का विशेष मरम्मत के साथ पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 13-श्री तेजपाल सिंह नागर विधान सभा क्षेत्र दादरी के अन्तर्गत राजकीय महाविद्यालय का निर्माण कार्य उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ के द्वारा निर्माण कार्य में हो रहे विलम्ब को अतिशीघ्र दूर कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 14-श्री मुकेश चौधरी विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में कम्प्यूटरीकृत की गयी कृषकों की भूमि की खतौनी के गलत अंकित हिस्सों को तत्काल संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में।

- 15-श्री राजेन्द्र सिंह पटेल विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद अन्तर्गत जोनिहा अमौली मार्ग में लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन बनवाये जाने के सम्बन्ध में।
- 16-श्री राम चन्द्र यादव विधान सभा क्षेत्र रुदौली के अन्तर्गत कैथी मांझा के बाढ़ पीड़ित परिवारों के लिए स्वास्थ्य शिविर की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 17-डॉ० मनोज कुमार जनपद हमीरपुर में जिला आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण प्रजापति कराये जाने के सम्बन्ध में।
- 18-श्री रमेश चन्द्र मिश्र विधान सभा क्षेत्र बदलापुर में कतिपय सड़कों के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु।

शेष सूचनाएँ अस्वीकृत हुईं।

घोर व्यवधान के मध्य जनपद अयोध्या के तहसील बीकापुर के राजस्व ग्राम जासरपुर में गाटा सं०-1920 को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर दोषी अधिकारी/कर्मचारी व ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री अभय सिंह द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के मध्य जनपद प्रतापगढ़ में शारदा सहायक नहरों-हीह, सगरा रजबहा एवं जायस रजबहा सहित अन्य रजबहों एवं अल्पिकाओं में सिंचाई हेतु टेल तक पानी पहुँचाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत जल शक्ति मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के मध्य नगर पालिका परिषद् सिसवां के अधिशासी अधिकारी व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा किये जा रहे नियम विरुद्ध कार्यों की जाँच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेम सागर पटेल द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के मध्य जनपद फिरोजाबाद में स्थित स्वशासी राजकीय महाविद्यालय को पूर्ण क्षमता से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष असीजा द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा शिक्षा) का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के मध्य जनपद आजमगढ़ में जिला अस्पताल एवं सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल आजमगढ़ में एम0आर0आई0 मशीन उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद यादव द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) का वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के मध्य जनपद मुरादाबाद के 11 नये राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती एवं सिहारी माला गांव में राजकीय हाई स्कूल में फर्नीचर की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मौ0 फहीम इरफान द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

घोर व्यवधान के मध्य विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में जर्जर तारों को समय से न बदलने के लिए मोन्टी कार्लो कम्पनी को काली सूची में किये जाने तथा जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किये जाने के साथ विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर में दो नए विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में डा0 रागिनी द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2024 को दी गई सूचना पर, नियम-51 के अन्तर्गत ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।

तदुपरान्त इंजी0 सचिन यादव जखई, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की तहसील जसराना के विकास खण्ड एका में मुस्तफाबाद-अवागढ़ मुख्य मार्ग से नगला जगन्नाथ सम्पर्क मार्ग पर लम्बाई लगभग 02 किमी0 की विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री रामरतन कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद ललितपुर की विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पूराकला में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुलायम सिंह लोधी व अन्य निवासीगण जनपद ललितपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी के अन्तर्गत राजा का सहसपुर रेलवे स्टेशन एवं ग्राम ढकिया नरू के मध्य नाला व दीवार का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फहीमउद्दीन व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ0 वीरेन्द्र यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के विकास खण्ड खुटहन के अन्तर्गत तिघरा बाजार से इन्द्र बहादुर, ग्राम-खुटहन

(हबना) के गाँव तक विद्युत खम्भों पर लगे जर्जर तार हटाकर नये तार लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रबहादुर व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी की तहसील मोट के चोपड़ा तालाब के बन्धे पर एवं गुरसराय नगर के धनाई तालाब से अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नेहिल सिंघई व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री वाचस्पति, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र बारा में रीवा रोड से धूरपुर प्रतापपुर मार्ग लम्बाई लगभग 28 किमी0 का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री वन्दना सिंह व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड जैतीपुर के अन्तर्गत खेड़ा बझेड़ा गढ़िया रंगीन मार्ग से ग्राम भरतापुर तक कच्चे मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना सिंह व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना में त्रिलोकपुर-भानपुर से नगला अजय होते हुए सराय चौरी तक के मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 रामवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद इटावा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा के ब्लॉक फतेहपुर सीकरी के ग्राम भड़कौल से नगला बंजारा तक के कच्चे मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के अन्तर्गत ब्लाक बनकटी के ग्राम खीरी घाट में ब्रिजेन्द्र वर्मा के घर से दिलीप चौधरी के मकान तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम धनी चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री संदीप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के मेजा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड उरूवा, मेजा, माण्डा के क्षेत्र में नालों पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कैलाश यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन की तहसील माधोगढ़ के अन्तर्गत प्रसिद्ध जालौन देवी जाने वाले मार्ग माधौगढ़ उमरी कुठौंद वाया जाजेपुरा मार्ग की

लम्बाई का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप राजावत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री मुकेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र नकुड़ के ग्राम बाकर माजरा में स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हिमांशु कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री सुरेश पासी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमेठी के विकास खण्ड जगदीशपुर के ग्राम पंचायत मंगरौली में राजकुमार के बाग से पूरे पासिन तक इण्टरलॉकिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद अमेठी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के अन्तर्गत अमरगढ़ से वाया ऊंचागँव-नगला मदारीपुर से माली की मडैया गंगा पुल तक मार्ग का चौड़ीकरण, सुदृढीकरण, निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मा प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के करछना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत भीरपुर रामपुर, करछना एवं छिवकी में निर्मित फ्लाईओवरों पर स्ट्रीट लाइट लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी, निवासी जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के डा0 मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय में खाली जगह पर ओ0पी0डी0 वार्ड व विभाग में इण्टरवेंशनल पल्मोनोलॉजी के आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन दुबे व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री ब्रजभूषण राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चरखारी में हर घर जल योजना के अन्तर्गत किये गये अधूरे कार्य को पूर्ण कराये जाने एवं उक्त कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप भटनागर व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अनिल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड पहाड़ी के ग्राम सरधुवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद चित्रकूट की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में गोलागंज बलरामपुर अस्पताल से सी0एम0ओ0 ऑफिस तक जर्जर सड़क को मरम्मत

कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो० जावेद खान व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डा० अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल के विकास खण्ड मसोधा के अन्तर्गत ग्राम भरतकुण्ड हनुमंत नगर मार्ग से विवियापुर नेवादा मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यप्रकाश दुबे व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री शफीक अहमद अंसारी, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र स्वार के अन्तर्गत मस्वासी बिजली घर के सामने से खुशालपुर के मोड़ तक डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री दीप गोयल व अन्य निवासीगण जनपद रामपुर की याचिका व्यपगत हुई।

डा० आर० के० पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूँ के अन्तर्गत पुरानी धरोहर पक्का तालाब का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील पटेल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती इन्द्राणी वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा के अन्तर्गत विकास खण्ड जमुनहा में चौराहा के सड़क के आगे रामपुर रोड पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रमोहन वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती मीनाक्षी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की तहसील खुर्जा के ब्लॉक अरनिया के ग्राम नागल के अंत्येष्टि स्थल में टीन शेड व टाइल्स लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डा० एम० पी० आर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज के ग्राम चौखण्डी से ग्राम अल्हैया तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरवंश पटेल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के अन्तर्गत गांव पीनना में पानीपत खटीमा मार्ग से खेड़ी दूधाधारी बुडीना खुर्द अमीरनगर लड़वा होते हुए तितावी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नौशाद व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज में ससई ग्राम के नहर पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मलिक मो० असजद व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री प्रभू नारायण सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 में निर्वाचन में तैनात स्व0 रोहित मिश्र, उच्च श्रेणी सहायक भारतीय जीवन बीमा निगम की कोविड-19 से मृत्यु के पश्चात् अनुग्रह राशि के भुगतान के सम्बन्ध में श्रीमती पूजा मिश्रा, निवासी जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री श्याम धनी राही, सदस्य, विधान सभा की सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत जिला पंचायत बलिया में वर्ष 2002 से 2005 तक कराये गये कार्यों की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल किशोर श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री सर्वेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद के फतेहपुर नसीरपुर, लौहरई, गुढा, खिलौली, हिम्मतपुर में विद्युत समस्याओं का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बीटू व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियागंज की रसूलाबाद ग्रामीण में अमर शहीद गेट से देवी जी नहर पुलिया होते हुए हसनगंज रसूलाबाद रोड नहर पुलिया तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार वाजपेई व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री जै किशन साहू, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर और चन्दौली को जोड़ने वाले चोचकपुर, नगवां पीपा पुल के स्थान पर पक्के सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामअवतार यादव व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राम फेरन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड इकौना के अंतर्गत कटरा मथुरा घाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में मनोज दुबे व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड खुजहा के ग्राम बसन्तखेड़ा से सुलतानगढ़ सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवी शंकर व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में बौधीकलां से कलुआ तक सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुरुमेज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड चण्डिका, जगेशरगंज बाजार से चौबेपुर सम्पर्क मार्ग तक की सड़क का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल उमरवैश्य व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री सीताराम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुलतानपुर के विधान सभा क्षेत्र लम्बुआ के ग्राम जमुयावा रतन नहर की पटरी से किरन सिंह के घर होते हुये जम्मूवीर बाबा के स्थान तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिओम तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद सुलतानपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री लकी यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मल्हनी के विकास खण्ड बक्शा में ग्राम दरियावगंज पक्की सड़क से अशोक यादव के घर तक की सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती रेखा वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया के विधान सभा क्षेत्र-202, विधूना में कानपुर मार्ग पर मनोज पाठक के खेत से त्रिमोहन पाठक से शंकर जी के मंदिर तक सी0सी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड-अकबरपुर के अन्तर्गत टोंस नदी पर रपटा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती पूनम संखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात के विकास खण्ड झींझक में गढिया घुटरी से बददापुरवा तक के सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संतोष प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर देहात की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के हण्डिया विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चकसारंग से भूषलपुर वाया हिम्मत बहार सम्पर्क मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरजा शंकर बिंद व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

इंजी0 बृजेश कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद मैनपुरी की विधान सभा क्षेत्र किशनी में किशनी चौराहे से बसैत होकर शमशेरगंज मार्ग तक सड़क का नवीनीकरण एवं सुदृढीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज बाल्मीकि व अन्य निवासीगण जनपद मैनपुरी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री बेचई सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के ग्राम शिवपुर-सुखपुरा मार्ग से राजकीय जूनियर हाई स्कूल खडैला का मरम्मत/पुनर्निर्माण

कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ० सत्य प्रकाश पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री पंकज पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मुंगराबादशाहपुर के ग्राम विश्वपालपुर में हरिजन बस्ती से ग्राम ठेहनिया यादव बस्ती तक के कच्चा मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत मोहम्मदाबाद मऊ के मुख्य मार्ग के शेख अहमदपुर चट्टी से ठकुरी पट्टी अनुसूचित बस्ती के आगे प्राइमरी स्कूल तक की सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मण यादव व अन्य निवासीगण जनपद मऊ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विशम्भर सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा के विकास खण्ड कमासिन के ग्राम कमासिन ग्राम के अन्तर्गत नन्दन डेरा पुल से बन्थरी माइनर होते हुए जमरेहीनाथ तक शून्य से लेपन तक 2 किमी० मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामानुज व अन्य निवासीगण जनपद बांदा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री देवेन्द्र कुमार निम, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर के ब्लाक रामपुर अन्तर्गत ग्राम पिलखनी में राजबाहा मेघछप्पर पर सतनाम के खेत की ओर जाने वाले मार्ग पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री भगवान सिंह कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा की तहसील खैरागढ़ के ब्लाक सैया के ग्राम टोडूपुरा से ग्राम कछपुरा (जाजमऊ) के बीच पार्वती नदी पर पुल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ० मुकेश चन्द्र वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत हरिहा के ग्राम नगला राधे में रघुनाथ के ट्यूबवेल से सुभाष की दुकान तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रघुनाथ व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र अयाहशाह के अन्तर्गत ग्राम पल्लपुर मजरे ललौली ब्लाक असोथर में हरिपाल के मकान के पास यमुना नदी पर 15 फुट पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती विजमा यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड धनपुर के अन्तर्गत ग्राम चकला पक्की सड़क से एस0एस0वी0 कानवेण्ट स्कूल होते हुए ग्राम खिजिरपुर होते हुए चौराहा तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकृष्ण व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अरमान खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र पश्चिम-लखनऊ के अन्तर्गत फरीदीपुर में अरुण स्वीट हाउस दुबग्गा से शाहपुर भमरौली, हनुमान मंदिर तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री जीत लाल पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र विश्वनाथगंज के मान्धाता प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चिकृत करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती कृष्णा पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विकास खण्ड धाता के ग्राम तेंदुआ एवं ग्राम सैदपुर में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम नरायन व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री गौरी शंकर वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन के विकास खण्ड डकोर के अन्तर्गत ग्राम चिरगुआ-जलालपुर से दौलतपुरवा के मार्ग पर नून नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू', सदस्य, विधान सभा की जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र-159, विलग्राम मल्लावां के अन्तर्गत नाऊपुरवा से पन्चौडी तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ईश्वर लाल राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद हरदोई की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा में हसनपुर रहरागवां, सम्भल जोया मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री सुशील कुमार शाक्य, सदस्य, विधान सभा की कार्यालय मुख्य अभियन्ता उत्तर प्रदेश, परिवाद (ख) वर्ग, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ से मुख्य अभियन्ता, कानपुर क्षेत्र, लो0नि0वि0, कानपुर के पत्र संख्या-562 ई0एफ0जी0 (ख)/सी-40ई0एफ0-1152/23 पर प्रभावी कार्रवाई न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रोहित कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद फर्रुखाबाद की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विनोद सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र इटवा के अन्तर्गत नगर पंचायत इटवा एवं नगर पंचायत बिस्कोहर में आर0सी0सी0 सड़क व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप कसौधन व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती ऊषा मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र हुसैनगंज के अन्तर्गत मुगल रोड से इजूरा पी0डब्लू0डी0 मार्ग से आगे संगठन गंगा घाट मार्ग एवं मोहम्मदपुर गौती पुल से कौशाम्बी बार्डर टांडा भैरव सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीत यादव व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम नंगलाताशी कासमपुर में सरकारी भूमि पर निर्मित अवैध कालोनियों पर कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में श्री राजदीप विकल व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती गीता शास्त्री, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड बहरिया के ग्राम गमरहटा में राम कैलाश सरोज के घर से यादव बस्ती तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुखराज सरोज व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री त्रिभुवन दत्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड रामनगर में हसवर, मकरही मुख्य मार्ग पर किशोर यादव के दुकान से ग्राम मूसेपुर मंझनपुर में बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश गौतम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अंतर्गत विशुनपुर कला चौराहे पर नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद चन्दौली में विकास खण्ड सदर के ग्राम सभा गोगरी में इन्द्रदेव के मकान से व सिहोरी चौहान के मकान से होते हुए बैलर तक सी0सी0 रोड व सीवर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शुभम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका व्यपगत हुई।

श्री राहुल राजपूत उर्फ राहुल लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली की विकास खण्ड सतांव के ग्राम मछरिया में राम सेवक के घर के पास से नाग पवरियां तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम औतार व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री समरपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात के अन्तर्गत धनौरा मार्ग से नगली लम्बाई 1.00 किमी० मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अमरोहा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विकास खण्ड बेरुवारबरी के ग्राम सभा सुखापुरा के सुखपुरा चौराहे पर बरसात के पानी की निकासी के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विनोद चतुर्वेदी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन की विधान सभा क्षेत्र कालपी के अन्तर्गत कदौरा जलालपुर मार्ग से चंदरसी तक लगभग 3 किमी० सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड निगोही के भगत सिंह चौराहे पर प्राचीन हनुमान मन्दिर का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री प्रेम नारायण पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के विकास खण्ड तरबगंज के अन्तर्गत धौरहरा घाट पक्की सड़क से खानपुर के मध्य घोघरा नाले पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आ० डी० तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री सुभाष त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर के अन्तर्गत ब्लाक पयागपुर के ग्राम सेमरियांवा में राजकीय नलकूप का रि-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री मोहम्मद हसन रूमी, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र-216, छावनी के अन्तर्गत कानपुर नगर के वार्ड संख्या-99 सुजातगंज क्रॉसिंग से छप्पन भोग चौराहे तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो० नफीस व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राज प्रसाद उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम बिझूरी में 33/11 विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के अन्तर्गत सिंहचौरा खुर्द माइनर पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत आये दिन ट्रांसफार्मर जलने से जनता में उत्पन्न आक्रोश के दृष्टिगत ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शशि भूषण व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती पिकी सिंह यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमौली के अन्तर्गत ग्राम रामनगर में असमौली मील बिलालपत रोड रामनगर चौराहे से हाजी वारिस के मकान से इरशाद के मकान तक सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इरशाद प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद सम्भल की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राम अवतार सिंह सैनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-24, नूरपुर के ग्राम छज्जापुर से ग्राम तमरोला तक 1.00 किमी० सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धनीराम व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री हरी ओम वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद कासगंज के विधान सभा क्षेत्र-101, अमोंपुर के अन्तर्गत अमोंपुर मोहनपुर मार्ग से नगला भीमसेन मार्ग का विशेष मरम्मत एवं आबादी भाग में सी०सी० निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लोकेन्द्र चौहान पुजारी (प्रधान) व अन्य निवासीगण जनपद कासगंज की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री लक्ष्मीराज सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम सुनपेड़ा से बाया आजमपुर हुसैनपुर से सम्पर्क मार्ग वैलाना तक डामर रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चेतन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ० रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के बधवां-जमालपुर मार्ग से बारीगांव पुरेसवा होते हुए कटवार तक पिच रोड का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विवेक कुमार वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद पीलीभीत के बीसलपुर के अन्तर्गत ब्लाक विलसण्डा के ग्राम भदेंगकंजा में बारात घर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद पीलीभीत की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती अनुपमा जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बहराइच सदर में फायर ब्रिगेड ग्राउण्ड एवं प्ले स्कूल के बगल में (पंचायत की जमीन)

विवाह, मुण्डन, जैसे मांगलिक आयोजन हेतु मैरिज हाल आधुनिक सुविधाओं के साथ निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आकाश जायसवाल निवासी जनपद बहराइच की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री रमाशंकर सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत ग्राम पचोखरा से लहास तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामधनी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की झांसी महानगर के वार्ड संख्या-50 के अन्तर्गत बड़ागांव गेट बाहर, पलक पैलेस के पास सड़क मार्ग एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री स्वामी ओड़मवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र-23, चाँदपुर के अन्तर्गत ग्राम पाडला इण्टर कालेज से ग्राम रवाना तक डामर सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ० मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर के मौदहा नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत खेल-कूद हेतु स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उत्तम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती के ब्लाक हरैया के अन्तर्गत ग्राम कोदई में आनन्द चौधरी के दुकान के तिराहे से गोपालपुर गाँव होते हुए केशवपुर चौराहे तक 2.5 किमी० सड़क मार्ग का विशेष मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत ब्लाक धौरहरा के ग्राम मनमतपुर से वेननपुरवा तक 4 किमी० मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रकुमार शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अजय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा विकास खण्ड करनैलगंज के शाहपुर 33/11 के०वी० पावर हाउस की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गंगा सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्रीमती आशा भौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद के अन्तर्गत सी०एच०सी० अस्पताल को उच्चीकृत कर 50 बेड का अस्पताल निर्मित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री विजय पाल (आढ़ती), सदस्य, विधान सभा की जनपद हापुड़ के अन्तर्गत हापुड़-बुलन्दशहर रोड नेशनल हाइवे-235, सोना पेट्रोल पम्प से लेकर कब्रिस्तान ग्राम सलई तक 2 किमी० सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय व अन्य निवासीगण जनपद हापुड़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री गौरव कुमार रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद बाराबंकी के ब्लाक हरख के अन्तर्गत ग्राम आलमपुर गयासपुर में राजेश रावत के घर से परिमाता मन्दिर तक 280 मी० सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश रावत व अन्य निवासीगण जनपद बाराबंकी की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ० शलभ मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र-337, देवरिया सदर क्षेत्रान्तर्गत देवरिया-खोराराम मार्ग पर कुर्ना नाले पर बने बेहद संकरे पुल का चौड़ीकरण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री राम आशीष गौतम व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री जाहीद बेग, सदस्य, विधान सभा की जनपद भदोही के विधान सभा क्षेत्र भदोही के अन्तर्गत नये ट्रांसफार्मरों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री खुर्रम व अन्य निवासीगण जनपद भदोही की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री चन्द्र प्रकाश लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के ग्राम पंथुवा से सदोय अभया तक की रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शियाराम यादव व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री राजकुमार सहयोगी, सदस्य, विधान सभा की जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड गोण्डा में अलीगढ़ से गोण्डा मार्ग का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हृदेश चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद अलीगढ़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डा० डी० सी० वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद बांदा की तहसील नरैना में नामांतरण/वरासत न किए जाने के सम्बन्ध में श्री कपिल श्रीवास, निवासी जनपद बांदा की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री हंसू राम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया के सोनाडीह से अहिरपुर होते हुए गाजियापुर मार्ग पर बने पुल का एप्रोच एवं जर्जर मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रुद्र प्रताप व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डा० हृदय नारायण सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सगड़ी के ग्राम पंचायत आराजी देवापरा नैनीजोर में 1975 से बसाये गये बाढ़ पीड़ितों के बिना आदेश के घर गिराये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्यदेव यादव व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री उमर अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद सहारनपुर की बेहट की शिवालिक की पहाड़ियों में पर्यटन स्थल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राव मुकर्रम व अन्य निवासीगण जनपद सहारनपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

डॉ० पल्लवी पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ में सरस्वतीपुरम, राम आसरे पुरवा, खदगापुर गोमतीनगर विस्तार निकट शान्ति जनरल स्टोर, लखनऊ में 150 मीटर आर०सी०सी० सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री पंचदेव सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ उपस्थित की हुयी मानी गयी।

श्री अमिताभ बाजपेई, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद कानपुर के विधान सभा क्षेत्र आर्यनगर में स्थित एक्सप्रेस रोड पर बन्द पड़ी के०डी०ए० बारातशाला चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चंकी गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका व्यपगत हुयी।

श्री ओम प्रकाश, सदस्य, विधान सभा की जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत धुसका-गाजीपुर से तरोइया तक के मार्ग पर पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्नीलाल निषाद व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित की हुयी मानी गयी।

तदुपरान्त सदन का उपवेशन सायं 04 बजकर 23 मिनट पर अगले दिन के 11:00 बजे तक के लिए स्थगित हुआ।

प्रदीप कुमार दुबे,

प्रमुख सचिव,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

स्वीकृत,

सतीश महाना,

अध्यक्ष,

विधान सभा, उत्तर प्रदेश।